

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-2) विभाग

क्रमांक: एफ. 17(10)डीओपी/ए-11/94

जयपुर, दिनांक :- 8 FEB 2018

—:परिपत्र:—

विषय:—सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएं समेकित पारिश्रमिक के आधार पर लिए जाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त।

इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 11.07.2017 के अधिक्रमण (Supersession) में वित्त (नियम) विभाग द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम-164A में किये गये संशोधन की अधिसूचना क्रमांक एफ. 12(6)वित्त/नियम/2009 दिनांक 01.12.2015 के अनुक्रम में राज्य सरकार के विभागों, विभिन्न परियोजनाओं, नये आयोगों, समितियों, राजकीय संस्थाओं आदि में जहां भी सेवा नियम अभी तक नहीं बन पाये हैं या रिक्त पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कर्मचारी उपलब्ध होने में विलम्ब की संभावना है वहां तात्कालिक आवश्यकता और अपरिहार्यता को दृष्टिगत रखते हुए, जनहित में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में, समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति के माध्यम से सेवाएं लिए जाने हेतु निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं:—

राज्य, अधीनस्थ, मंत्रालयिक, चतुर्थ श्रेणी सेवाओं एवं विभिन्न परियोजनाओं, नये आयोगों, समितियों तथा राजकीय संस्थाओं की स्पष्ट रिक्तियों के विरुद्ध समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति प्रथम बार एक वर्ष अथवा नियमित कर्मचारी उपलब्ध होने में से, जो भी पहले हो, तक की कालावधि के लिए प्रशासनिक विभाग के पूर्व अनुमोदन से की जा सकेगी, जिसे पद नहीं भरने के कारण/औचित्य दर्शाते हुए, प्रशासनिक विभाग की आज्ञा/पूर्व अनुमति से एक वर्ष की कालावधि के लिए और विस्तारित (Extend) किया जा सकेगा।

दो वर्ष के बाद समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति की अवधि में अभिवृद्धि कार्मिक एवं वित्त विभाग की पूर्व सहमति से ही की जा सकेगी।

उक्तानुसार समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति अवधि में अभिवृद्धि करते समय निम्न बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित की जावेगी :—

- (1) समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति सेवाएं केवल जनहित में वैकल्पिक व्यवस्था हेतु उन पदों के विरुद्ध ही ली जा सकेंगी जो कि स्पष्ट रूप से रिक्त हैं। इस हेतु प्रशासनिक विभाग की स्वीकृति पश्चात् राज्य सेवाओं की रिक्तियों के संबंध में संबंधित प्रशासनिक सचिव, अधीनस्थ, मंत्रालयिक तथा चतुर्थ श्रेणी सेवाओं में राज्य स्तरीय रिक्तियों के लिए संबंधित विभागाध्यक्ष तथा जिला/स्थानीय स्तरीय रिक्तियों के लिए संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी सेवाएं लेने हेतु सक्षम प्राधिकारी होगा।


- (2) किसी संवर्ग में कनिष्ठतम वेतनमान में रिक्तियों को 65 वर्ष से कम आयु के राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारी (शारीरिक रूप से/चिकित्सकीय रूप से उपयुक्त होने पर ही) से भरी जा सकेगी। सक्षम प्राधिकारी संबंधित कर्मचारी की पात्रता को प्रमाणित करने के लिए श्रेष्ठ निर्णयकर्ता होगा।

परन्तु उच्चतर पद के विरुद्ध समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति सेवाएं, निम्नतर पदों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों की पदोन्नति की संभावनाओं को प्रतिकूल रूप से प्रभावित न करने के अध्यक्षीन ली जा सकेगी।

- (3) केवल ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी, जिन्होंने 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, की समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति पर सेवाएं लेने हेतु विचार किया जायेगा। ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों, जिन्हें सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया था या जिन्हें किसी अन्य रीति से दंडित किया गया था, के संबंध में समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जायेगा।
- (4) सेवानिवृत्त कर्मचारी जिस कैडर से सेवानिवृत्त हुआ है उस ही कैडर में रिक्त पद के विरुद्ध समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे।
- (5) सक्षम प्राधिकारी ऐसी प्रक्रिया/मार्गदर्शक सिद्धान्त भी विहित कर सकेगा जो वह उद्देश्य और योग्यता आधारित नियुक्तियों को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त समझे।
- (6) सेवानिवृत्त कार्मिकों की पुनर्नियुक्ति सेवा के प्रयोजनार्थ समेकित पारिश्रमिक राशि संलग्न **परिशिष्ट-‘क’** के अनुसार होगी।
- (7) सेवानिवृत्त कार्मिक की समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति सेवाएं लिए जाने हेतु **परिशिष्ट-‘ख’** पर संलग्न प्रारूप के अनुसार आदेश जारी किये जावें।
- (8) समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्त कार्मिक एक वर्ष में 12 दिवस की वैतनिक आकस्मिक अवकाश के हकदार होंगे। वे राजस्थान सेवा नियमों के अधीन उपार्जित अवकाश या किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के हकदार नहीं होंगे। बिना अवकाश के प्रत्येक दिवस की अनुपस्थिति के लिए मासिक पारिश्रमिक का 1/30 वां भाग काटा जायेगा।
- (9) ऐसे व्यक्तियों को यात्रा भत्ता समेकित पारिश्रमिक के आधार पर विद्यमान यात्रा भत्ता नियमों के अधीन प्रवर्ग के अनुसार अनुज्ञात होगा।
- (10) समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति की किसी भी शर्त के भंग करने पर या 15 दिवस का पूर्व नोटिस देकर, सक्षम प्राधिकारी द्वारा समाप्त किये जाने के दायित्व के अध्यक्षीन होगी।
- (11) समेकित पारिश्रमिक के आधार पर पुनर्नियुक्ति पर लगे हुए व्यक्तियों को गोपनीय या संवेदनशील प्रकृति के कार्य या नकदी संभालने/रोकड़बही को लिखने और रोकड़िया के रूप में कृत्य करने से संबंधित कार्य न्यस्त (Entrust) नहीं किये जायेंगे।


(12) इस प्रकार प्रशासनिक विभाग के स्तर से एक वर्ष हेतु समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति किए जाने एवं तत्पश्चात् आगे एक वर्ष की अभिवृद्धि किए जाने के पश्चात् भी यदि ऐसे कार्मिक की अवधि में और अभिवृद्धि की आवश्यकता महसूस होती हो, तो कार्मिक/वित्त विभाग को तत्संबंधी प्रस्ताव संलग्न निर्धारित प्रपत्र में अपेक्षित सूचना के साथ भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जावे।

यह परिपत्र वित्त विभाग की आई.डी. 101706395 दिनांक 11.01.2018 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी किया जाता है। यह जारी होने की दिनांक से प्रभावी होगा।


(भास्कर ए. सावंत)
शासन सचिव


प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदय।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव/संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव।
5. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर/विभागाध्यक्ष।
6. शासन उप सचिव, कार्मिक (ख-1/ख-2) विभाग।
7. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक), कार्मिक विभाग को कार्मिक विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. सचिवालय के समस्त विभाग/अनुभाग/प्रकोष्ठ।
9. रक्षित पत्रावली।


(सुनील शर्मा) 8/2/18
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी :-

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर।


8/2/18
संयुक्त शासन सचिव

राज्य सरकार से सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों की समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति सेवा में अभिवृद्धि हेतु प्रस्ताव भेजने के लिए निर्धारित प्रपत्र

विभाग/कार्यालय:-----
सेवा का नाम:-----

1. सेवानिवृत्त कर्मचारी/अधिकारी का नाम :-----
2. सेवा का नाम, जिससे संबंधित है :-----
3. जन्म तिथि और अंतिम आहरित वेतन :-----
4. अधिवार्षिकी की आयु प्राप्त करने की तारीख :-----
5. मूल विभाग का नाम :-----
6. सेवानिवृत्ति के समय धारित पद :-----
7. धारित पद का वेतनमान -----
(सेवानिवृत्ति के समय)
- 8 अनुभव:-----
9. सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन (रनिंग पे बैण्ड वेतन + ग्रेड पे)
(एलपीसी संलग्न है):-----
- 10 मूल पेंशन राशि (पीपीओ की प्रति):-----
- 11 सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी की जिस रिक्त पद विरुद्ध सेवाएं ली जानी है, का विवरण तथा उस पद के रिक्त रहने एवं नियमानुसार भरे जाने में विलम्ब के कारण:-----
12. सेवानिवृत्त कार्मिक की रिक्त पद/पदों के विरुद्ध समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति से किसी अन्य कार्मिक की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा अथवा नहीं ? तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट करें:-----
- 13 स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण ----- /-----
- 14 भर्ती का तरीका(सीधी भर्ती या पदोन्नति) -----
यदि पदोन्नति द्वारा :-
(1) अंतिम नियमित चयन कब किया गया था -----
(2) पदोन्नति के लिए पात्र वरिष्ठतम व्यक्ति उपलब्ध है या नहीं ?-----
(3)नियमित चयन के लम्बित रहने के दौरान पदोन्नति के लिए पात्र वरिष्ठतम व्यक्तियों में से कुछ स्थापन्न नियुक्ति संभव है या नहीं ? -----
- 15 रिक्त पद के विरुद्ध समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति सेवाएं कब से ली जानी प्रारम्भ की गई (आदेश की प्रति संलग्न) तथा इस पुनर्नियुक्ति सेवा को कब से कब तक बढ़ाया गया (आदेश की प्रति संलग्न)
16. वह कालावधि जिसके लिए समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति सेवाओं में अभिवृद्धि की जानी है:-----
17. समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति सेवाओं में अभिवृद्धि का विस्तृत औचित्य:-----

हस्ताक्षर
सक्षम/नियुक्ति प्राधिकारी मय सील

सेवानिवृत्त कार्मिकों की समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति सेवाएं निम्नलिखित रीति से अवधारित की जायेगी :-

क्रम सं.	वेतनमान में सेवानिवृत्त होने वाले पदधारी राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 में वेतन बैंड + ग्रेड पे/राजस्थान सिविल सेवा(पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 में पे लेवल	समेकित पारिश्रमिक राशि प्रतिमाह (रूपयों में)
1.	5200-20200+ग्रेड वेतन 1700/पे लेवल-1	6400/-
2	5200-20200+ग्रेड वेतन 1750/पे लेवल-2	6500/-
3	5200-20200+ग्रेड वेतन 1900/पे लेवल-3	7000/-
4	5200-20200+ग्रेड वेतन 2000/पे लेवल-4	7400/-
5	5200-20200+ग्रेड वेतन 2400/पे लेवल-5, 6, 7	9100/-
6	5200-20200+ग्रेड वेतन 2800/पे लेवल-8-9	10400/-
7	9300-34800+ग्रेड वेतन 3600/पे लेवल-10	12000/-
8	9300-34800+ग्रेड वेतन 4200/पे लेवल-11	13400/-
9	9300-34800+ग्रेड वेतन 4800/पे लेवल-12	17400/-
10	9300-34800+ग्रेड वेतन 5400/पे लेवल-13	19500/-
11	15600-39100+ग्रेड वेतन 5400/पे लेवल-14	19500/-
12	15600-39100+ग्रेड वेतन 6000/पे लेवल-15	21000/-
13	15600-39100+ग्रेड वेतन 6600/पे लेवल-16	21900/-
14	15600-39100+ग्रेड वेतन 6800/पे लेवल-17	23200/-
15	15600-39100+ग्रेड वेतन 7200/पे लेवल-18	24600/-
16	15600-39100+ग्रेड वेतन 7600/पे लेवल-19	25400/-
17	15600-39100+ग्रेड वेतन 8200/पे लेवल-20	29000/-
18	37400-67000+ग्रेड वेतन 8700/पे लेवल-21	40100/-
19	37400-67000+ग्रेड वेतन 8900/पे लेवल-22	42300/-
20	37400-67000+ग्रेड वेतन 9500/पे लेवल-23	46600/-
21	37400-67000+ग्रेड वेतन 10000/पे लेवल-24	47600/-

- नोट :-**1. नियमित नियुक्ति दिनांक से राज्य कर्मचारियों को ए.सी.पी. नियमों के तहत तीन ए.सी.पी. देय होती है। इसलिए उच्च पद से सेवानिवृत्त कार्मिक की, यदि निम्न पद पर समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति की जाती है तो निम्न पद पर नियुक्त ऐसे कार्मिक को उस पद से संबंधित सेवा के निम्नतम पद के लिए निर्धारित ग्रेड-पे/पे लेवल से ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत योग्य तीसरी उच्च ग्रेड-पे/पे लेवल के अनुसार समेकित पारिश्रमिक देय होगा।
2. उक्त संशोधित पारिश्रमिक का लाभ पूर्व से पुनर्नियोजित सेवानिवृत्त कार्मिक को भी देय होगा।

राजस्थान सरकार

विभाग का नाम.....

क्रमांक:—

जयपुर, दिनांक

आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 164ए के प्रावधान के अन्तर्गत श्री सेवानिवृत्त (पदनाम) विभाग(सेवानिवृत्ति के समय पदस्थापित) को विभाग (पदस्थापन किये जाने वाले कार्यालय का नाम) में रिक्त (पदनाम) के पद के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक/...../..... के परिशिष्ट—‘क’ के अनुसार निर्धारित समेकित पारिश्रमिक पर एक वर्ष अथवा नियमित कार्मिक उपलब्ध होने अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए पुनर्नियुक्ति निम्न शर्तों के अधधीन प्रदान की जाती है:—

पुनर्नियुक्ति की शर्तें:—

1. समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्त कार्मिक एक वर्ष में 12 दिवस वैतनिक आकस्मिक अवकाश के हकदार होंगे। वे राजस्थान सेवा नियम, 1951 के अधीन उपार्जित अवकाश या किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के हकदार नहीं होंगे। बिना अवकाश के प्रत्येक दिवस की अनुपस्थिति के लिए मासिक पारिश्रमिक का 1/30 भाग काटा जायेगा।
2. राजकीय कार्य से यात्रा करने पर यात्रा भत्ता समेकित पारिश्रमिक के आधार पर विद्यमान यात्रा भत्ता नियमों के अधीन प्रवर्ग के अनुसार अनुज्ञेय होगा।
3. पुनर्नियुक्ति सेवाएं 15 दिवस का पूर्व नोटिस देकर सक्षम प्राधिकारी द्वारा समाप्त की जा सकेंगी।
4. राजकीय हित में पुनर्नियुक्ति अवधि में एक वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, तक अभिवृद्धि आपसी सहमति से की जा सकेंगी।
5. पुनर्नियुक्ति के दौरान दूरभाष/मोबाईल/इन्टरनेट व्यय का पुनर्भरण अनुज्ञेय नहीं होगा।
6. पुनर्नियुक्ति अवधि के दौरान कोई चिकित्सा व्यय पुनर्भरण अनुज्ञेय नहीं होगा।

सक्षम/नियुक्ति प्राधिकारी